

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दिशा में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पकल खिड़की केवल आवासीय प्रौजगर्दी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 722 दिनांक 22/09/2020

प्राप्ति अश्विन्दु दिवाणर 310 श्री सपत लाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वानेर्धारण राशि रुपये 6677/- पंजा

जरिये रसीद संख्या 9069/6420, 6421

दिनांक 22/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 183 233 चौपासी  
313 कि। बीड

प्री+1  
आवासीय

22/9/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Received by  
